Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 50/2012

मदनलाल पुत्र श्री चन्दालाल जाति बैरवा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

.......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. मोडूलाल पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

<u>वाद वास्ते घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा पूरा किये जाने कमी रकबा व साबिक खसरा नं0 164 का रकबा कायम किये जाने बाबत् अन्तर्गतधारा 88, 89, आरटीएक्ट व धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील अप्रार्थी : श्री हरिश राजावत
दायरा दिनांकः 07.09.2012

निर्णय दिनांक : 10.05.2018

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24.01.1983 को साबिक खसरा नं0 169 की आराजी 12 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल में वादी को कीमतन आवंटन हुई थी, आवंटित आराजी का दखलनामा गवाहन के समक्ष दिनांक 11.07.1984 को दिया गया जब से वादी लगातार आवंटित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

वादी ने आवंटन की सम्पूर्ण राशि 12 बीघा 2 बिस्वा की सन 1995 में ही जमा करा दी और गैरखातेदार वादी का इन्तकाल नं0 72 से 2002 में दी गयी गैर खातेदार खसरा नं0 150 की 0.48 है0 व खसरा नं0 151 की 0.80 है0 कुल 1.28 है0 पर दी गयी और वादी का रकबा 0.65 है0 कम कर दिया क्योकि वादी का दखलं 12 बीघा 2 बिस्वा पर दिया गया था। और रकबा इस अनुपात में 1.93 है0 होना चाहिए मौके पर रकबा पूरा वादी काश्त कर रहा है।

वादी को आंवटित साबिक रकबा 169 का 19 बीघा 11 बिस्वा था। जिसका रकबा 3.11 है0 होना चाहिए था। लेकिन सेटलमेंट के बाद खसरा नं0 150 रकबा 0.48 है0 और खसरा नं0 151 रकबा 2.50 है0 दर्ज किया गया जो पूर्व रकबे से 0.15 है0 कम है। इसको पूरा किया जाना न्याय संगत होगा।

प्रतिवादी कम 2 मोडूलाल को भी 24.01.1983 से खसरा नं0 169/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 169/2 रकबा 5 बीघा और खसरा नं0 164/1 रकबा 15 बिस्वा खसरा नं0 164/2 रकबा 2 बीघा

वंटित किया गया इस प्रकार प्रतिवादी कम 2 को साबिक खसरा नं0 169 में से सिर्फ 7 बीघा 9 मि आवंटित की गयी और शेष 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी खसरा नं0 164 से आवंटित की गयी त्र में आगे कथन किया कि खसरा नं0 साबिक 169 व 164 आपस मे मिले हुए है। लेकिन हाल ट होन के पश्चात खसरा नं0 169 को नवीन खसरा नं0 150 व 151 दर्ज किये गये और खसरा नं0 को नवीन खसरा नं0 दर्ज नही करके साबिक खसरा नं0 164 की आराजी खसरा नं0 151 के रकबे में दी इस प्रकार साबिक खसरा नं0 164 का हाल रकबा 0.57 है0 होता है। उक्त रकबा भी खसरा नं0 में मिला दिया।

वादी खसरा नं0 151 के 1.93 है0 आराजी पर काबिज काश्त है। जबकि खाते में 1.28 है0 आराजी दर्ज हो रही है। जबकि 0.65 है0 आराजी कम दर्ज की गई है। खसरा नं0 150 रकबा 0.48 है0 पर प्रतिवादी कम 2 काबिज काश्त है। यह आराजी वादी के खातें में से कम होकर प्रतिवादी कम 2 के खाते में दर्ज होनी चाहिए तथा प्रतिवादी कम 2 के खाते में खसरा नं0 150 की 0.48 है0 साबिक खसरा नं0 164 की 0.57 है0 व खसरा नं0 151 की 0.65 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिए।

उपरोक्त आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 2 की ओर से श्री हरिश राजावत की और से वकालतनामा पेश किया जवाब सरकार पत्रावली में पेश है। इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2013 का निर्णय बउनवान मोडूलाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट शामिल है। उक्त निर्णय के अनुसार वादी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 150 रकबा 0.48 है0 कम करके प्रतिवादी कम 2 के खाते दर्ज कर दी गयी। तथा प्रतिवादी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 151 रकबा 1.70 है0 में से 0.48 है0 आराजी कम करके वादी के खाते में दर्ज करने के आदेश हो रहे है। प्रतिवादी कम 2 का निर्णय दिनांक 13.12.2013 को हो जाने के पश्चात इस प्रकरण में से उसका नाम डिलिट कर दिया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गयी राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया वकील वादी ने अपनी बहस में निर्णय न्यायालय आरएए कोटा दिनांक 14.12.1999 बउनवान मदनलाल बनाम सरकार की और ध्यान दिलाया उक्त निर्णय पत्रावली में शामिल है। निर्णय के अनुसार अपीलिय न्यायालय ने वादी का आवंटित आराजी 12 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बोरदा में मानते हुए समस्त आवंटन किश्त जमा होना स्वीकार किया है। वकील वादी ने न्यायालय का ध्यान इस साबिक राजस्व नक्शे में बने हुए साबिक खसरा नं0 169 व 164 की ओर दिलाया कि दोनो नक्शा एक दूसरे से उत्तर दक्षिण मिले हुए है। लेकिन सेटलमेंट होने के पश्चात साबिक खसरा नं0 164 का नवीन खसरा नं0 व नक्शा न बनाकर साबिक खसरा नं0 169 से बने खसरा नं0 151 के नक्श में रकबा मिला दिया गया इस प्रकार प्रतिवादी कम 2 का आवंटित आराजी साबिक खसरा नं0 164 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जिसका हाल रकबा 0.57 है0 बनता है। खसरा नं0 151 में मिला दिया जिसमें प्रतिवादी काबिज काश्त है।

न्यायालय वकील वादी को तर्को व राजस्व रेकार्ड साबिक नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल से सहमत है। रिपोर्ट हल्का पटवारी व तहसीलदार मांगरोल दिनांक 10.05.2018 से न्यायालय सहमत नही है। रिपोर्ट अनुसार प्रकरण धारा 136 का बनना नही पाया जाता है। लेकिन वाद 136 के साथ–साथ धारा 88, 89 आरटीएक्ट घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का भी है। जो राजस्व रेकार्ड से संबंधित है। इस न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 13.12.2013 प्रकरण संख्या 40/2012 बउनवान मोडूलाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136

पत्रावली में शामिल है। समस्व राजस्व रेकार्ड व बहस को सूनने के पश्चात न्यायाल वाद को करना न्यायोचित मानता है।

अतः वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि

(अ) ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल वादी मदनलाल के खाते में से खसरा नं0 150 रकबा 0.48 है0 आजी खारिज करके प्रतिवादी कम 2 मोडूलाल के खाते में दर्ज की जावें। वादी के खाते में खसरा नं0 1/793 रकबा 0.80 है0 के स्थान पर प्रतिवादी कम 2 में खाते में दर्ज खसरा नं0 151 रकबा 1.70 है0 में से 1.13 है0 आराजी खारिज करके वादी के खाते में 1.93 है0 आराजी दर्ज की जावें।

(ब) प्रतिवादी कम 2 के खाते में ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल खसरा नं0 151 की 0.65 है0 और खसरा नं0 150 रकबा 0.48 है0 और साबिक खसरा नं0 164 का नवीन रकबा 0.57 है0 कुल 1.70 है0 आराजी दर्ज की जावें।

(स) ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल के खसरा नं0 151 मिन 2.50 है0 के स्थान पर समीपस्थ सरकारी खसरा नं0 से 0.15 है0 आराजी पूरा करके खसरा नं0 151 मिन 2.65 है0 आराजी दर्ज की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।